अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2021 (GCMS 2021/23) देवेन्द्र नारायण शर्मा, निवासी 67 चाणक्य नगर, नई शिवबाड़ी रोड़, बीकानेर – 334003 (राज.) मो.न. – 98290–81780 बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी देवेन्द्र नारायण शर्मा स्वयं उपस्थित हुआ और उसने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2020 के द्वारा तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा मुझे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी देवेन्द्र नारायण शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. आवंटन मिसल व पट्टा खसरा नं. 68–50 बीघा
2. खातेदारी मिसल व सनद की कॉपी दिनांक 10.02.1983 इंतकाल संख्या 68–10.02.1983 तहसील हुकमन खातेदारी
3. 2025–28 के बीच श्रीमती जेठीबाई जमाबंदी व अलॉटमेंट फाईल गांव कुनपालसर, देईदासपुरा

श्रीमान्जी उपरोक्त वर्णित आवंटी श्रीमती जेठीबाई धर्मपत्नि श्री सरदारराम की आवंटन मिसल व पट्टा की पूर्ण फाईल की पूर्ण प्रतिलिप प्रदान करने का श्रम करें।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक रिकॉर्ड/सूकाअ/2020/49 दिनांक 02.12.2020 से प्रार्थी को निम्न प्रकार से जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचनाएं चाही गई है :

1. आवंटन मिसल व पट्टा खसरा नं. 68—50 बीघा
2. खातेदारी मिसल व सनद की कॉपी दिनांक 10.02.1983 इंतकाल संख्या 68—10.02.1983 तहसील हुकमन खातेदारी
3. 2025—28 के बीच श्रीमती जेठीबाई जमाबंदी व अलॉटमेंट फाईल गांव कुनपालसर, देईदासपुरा

आप द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रकरण संख्या, अनवान, आंवटन श्रेणी एवं न्यायालय का नाम के अभाव में पत्रावली की तलाश किया जाना संभव नहीं है। अतः आप प्रकरण संख्या अनवान्, आवंटन श्रेणी एवं न्यायालय का नाम इस कार्यालय में उपलब्ध करावें ताकि आपको नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने उक्तानसार जो जवाब दिया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी यदि अपनी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण यथा प्रकरण संख्या, अनवान् आदि उपलब्ध करवा दे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तनुसार निस्तारित की जाती है और आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को भेजकर आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी यदि उक्तानुसार स्पष्ट विवरण उपलब्ध करवा दें तो उसे नियमानुसार निर्णय प्राप्ति के 10 दिवस में उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करें। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर